बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री दीपक कुमार भारद्वाज, (कोटि क्रमांक–372/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभागीय मुख्यालय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–343 दिनांक–18.07.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि लखीसराय थाना काण्ड संख्या–379/2026 दिनांक–17.07.2026 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा–30(ए)/37 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। साथ ही, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–346 दिनांक–22.07.2026 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना यथा–श्री भारद्वाज को दिनांक–17.07.2026 को शराब के नशे में होने तथा अवैध शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तारी के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–4409 दिनांक–29.07.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तारी के उपरान्त कारा–निरोध की तिथि–17.07.2026 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि आयुक्त के सचिव–सह–उप निदेशक (खाद्य), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के आदेश ज्ञापांक–4976 दिनांक–29.08.2026 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–5855 दिनांक–21.09.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(3)(i) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री भारद्वाज द्वारा समर्पित योगदान को अनुमोदित करते हुए योगदान की तिथि यथा–20.08.2026 से उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

3. उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–445 दिनांक–12.09.2026 के माध्यम से श्री भारद्वाज के विरूद्ध लखीसराय थाना काण्ड संख्या–379/2026 दिनांक–17.07.2026 में श्री भारद्वाज को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा–30(ए)/37 के अन्तर्गत नशे की हालत में गिरफ्तार किये जाने तथा इनके वाहन से अंग्रेजी शराब बरामद होने, श्री भारद्वाज के विरूद्ध पूर्व से ही लखीसराय थाना काण्ड संख्या–185/2026, U/s-329(3), 352 BNS and 25(9) Arms Act (Custody date 23.07.2026) दर्ज होने तथा सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बिना अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने के साथ आचरण लोक सेवक के प्रतिकूल होने जैसे आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. श्री भारद्वाज के विरूद्ध उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके विरूद्ध प्रतिवेदित तीनों आरोप एक लोक सेवक/पदाधिकारी के लिए अशोभनीय है तथा गंभीर प्रकृति के हैं। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(3)(ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में नियम–9 के उप नियम–(1)(क) एवं (ग) के तहत श्री दीपक कुमार भारद्वाज, (कोटि क्रमांक–372/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभागीय मुख्यालय को आदेश निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री भारद्वाज का मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर निर्धारित किया जाता है, जहाँ वे नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

6. श्री भारद्वाज को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–10 में निहित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(खगड़िया)–18 / 2026 6788 /खाद्य, पटना / दिनांक 30/10/2026

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव, कनीय प्रभारी प्रशाखा–01 एवं उप सचिव, कनीय प्रभारी प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. उप निदेशक (खाद्य), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. श्री दीपक कुमार भारद्वाज (कोटि क्रमांक–372 / 2024), आपूर्ति निरीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभागीय मुख्यालय, मोबाईल संख्या–9891665115, E-mail : deepakdhamma@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।